विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति

अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है। वर्ष 2013-14 में 04 विद्यार्थियों को नवीनीकरण के भुगतान पर 18.33 लाख की राशि व्यय की गई है तथा 27 विद्यार्थियों का चयन किया गया। वर्ष 2014-15 में 03 विद्यार्थियों को नवीनीकरण के भुगतान पर रुपये 9.07 लाख की राशि व्यय की गई तथा 16 विद्यार्थियों का चयन किया गया। 2015-16 में 50 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु रुपये 110.00 लाख का प्रावधान है।

बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा शुल्क की राशि विभाग द्वारा मंडल को भुगतान की जाती है।

योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में रुपये 120.00 लाख एवं 2014-15 में रुपये 130.00 लाख व्यय किये गये हैं। वर्ष 2015-16 में रुपये 140.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

कौशल विकास योजना

प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास से जुड़े हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों का विगत वर्षों में काफी तीव्रता से विकास हुआ है। जनजाति वर्ग के युवकों में कुशलता की वृद्धि करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी हैं। कौशल विकास से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में 350 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षणार्थियों का चिन्हांकन ऐसे बेरोजगार युवा जो शाला छोड़ चुके हैं अथवा कक्षा 10वीं उपरांत व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर रोजगार/स्वरोजगार के इच्छुक हैं, वे इस योजना के लक्ष्य समूह होंगे। योजनान्तर्गत 10028 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 1469 प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया।

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना यथा- समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था, आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़कें, नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जन जाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि) के लिये जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2013-14 में इस योजना में रुपये 2714.00 तथा वर्ष 2014-15 में रुपये 4091.14 लाख विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किये गये हैं।

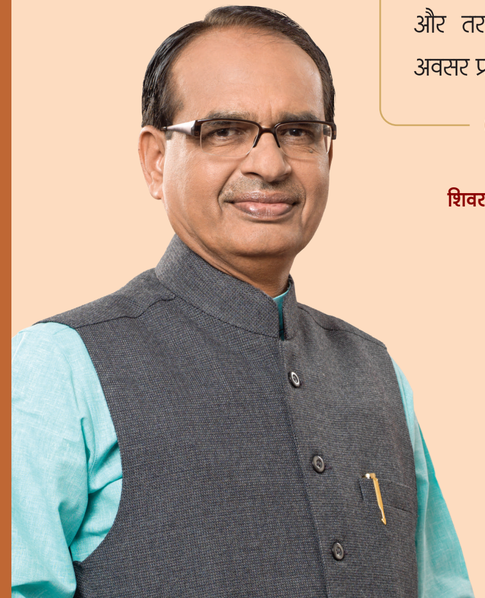

“राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा शिक्षित हो। शिक्षा से इन्हें समाज में सम्मान, बराबरी का हक और तरक्की के समान अवसर प्राप्त होंगे।”

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश माध्यम/2015
Website : www.mpmadhyam.in

मध्यप्रदेश शासन

सबके साथ, सबका विकास

आदिवासी विकास
शिक्षा के सुनियोजित प्रयास

पढ़ने-बढ़ने का परिवेश
यह है अपना मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क का प्रकाशन

शिक्षा के लिए सुनियोजित कार्यक्रम

शालाएँ

आदिवासियों के विकास के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। शैक्षणिक उत्थान के लिए विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 आदिवासी विकासखण्डों में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 12,643 प्राथमिक शालाएँ, 4,369 माध्यमिक शालाएँ, 821 हाई स्कूल, 704 उ.मा.वि., 08 आदर्श उ.मा.वि., 62 कन्या शिक्षा परिसर, 20 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 13 न्यून साक्षरता वाले कन्या शिक्षा विद्यालय, 03 विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय, 22 क्रीड़ा परिसर, 1326 प्री-मैट्रिक छात्रावास, 130 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास, 1026 आश्रम शालाएँ तथा 01 आदिवासी पुनर्ध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

प्रदेश के 18 जिलों झाबुआ, धार, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, उमरिया, अलीराजपुर, खण्डवा, शहडोल, बालाघाट, जबलपुर एवं होशंगाबाद में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। झाबुआ एवं छिंदवाड़ा जिले में दो-दो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक 3505 बालक एवं 3340 बालिकाएँ अध्ययनरत हैं। वर्ष 2005-06 से इन विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों को ऐकेडेमिक शिक्षा के साथ-साथ कम्प्यूटर शिक्षा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, भोजन, गणवेश, स्टेशनरी, लायब्रेरी तथा सुसज्जित आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2015 में नवीन प्रवेश कक्षा 6 में 1200 विद्यार्थियों को दिया गया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए भारत सरकार द्वारा आवर्ती-अनावर्ती मद की शत-प्रतिशत राशि प्रदाय की जाती है।

साइकिल रखरखाव योजना

कक्षा 9वीं की जिन आदिवासी बालिकाओं को साइकिल प्रदाय की गई है उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर साइकिल रख-रखाव भत्ता रुपये 1,000 प्रति बालिका को देय होगा। वर्ष 2013-14 में 21,490 बालिकाओं को रुपये 206.29 लाख एवं वर्ष 2014-15 में 12,422 छात्राओं को रुपये 124.22 लाख की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2015-16 में 25000/- बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

विद्यार्थी कल्याण

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु रुपये 1,000, विद्यार्थियों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपये 3,000, निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाइकल हेतु रुपये 3,000, असामयिक विपत्ति रुपये 25,000, विशेष रोग, केंसर, टी.बी., हृदय रोग आदि रुपये 5,000, मृत्यु पर (दुर्भाग्य पूर्ण रूप से घटना होने पर) रुपये 25,000 की राशि प्रदान की जाती है।

योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 7350 विद्यार्थियों को रुपये 87.62 लाख एवं वर्ष 2014-15 में 7500 विद्यार्थियों को रुपये 135.05 लाख की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2015-16 में 7658 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश प्रदाय योजना

प्रदेश के 15 जिलों में निवासरत विशेष जनजाति बैगा, सहरिया एवं भारिया के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष गणवेश, स्वेटर, जूते-मोजे और बैग दिये जाने की योजना स्वीकृत है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 600/- एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1,100 की राशि सीधे बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।

वर्ष 2014-15 में 2,30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-16 में 2,45,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

आवासीय संस्थाएँ

दूरस्थ अंचलों में आदिवासी विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बालक तथा बालिकाओं के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2014-15 में 04 बालक एवं 06 कन्या कुल 10 प्री-मैट्रिक छात्रावास 50 सीटर नवीन खोले गये हैं। इस वर्ष में 1326 प्री- मैट्रिक छात्रावासों में रुपये 8239.63 लाख व्यय किए जाकर 73,564 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 1026 आश्रमों में रुपये 10,151.94 लाख व्यय किए जाकर 67,066 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 110 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में रुपये 471.36 लाख व्यय किए जाकर 6450 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में आगमन भत्ता

आगमन भत्ते के स्थान पर पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को सामग्री प्रदान हेतु वर्ष 2015-16 में रुपये 654.00 लाख का बजट जारी किया गया।

आवास भत्ता सहायता योजना

अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निवास ग्राम से अन्य स्थान पर अध्ययन निरंतर रखने में वित्तीय संसाधनों की कमी से बाधा उत्पन्न न हो, इस उद्देश्य से निवास ग्राम से अन्य/शहर के महाविद्यालय में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिये आवास योजना स्वीकृत की गई।

योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर से शिक्षा निरंतर रखने के लिए भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में रुपये 2,000 प्रति विद्यार्थी तथा जिला मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी रुपये 1,250 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। एक विकास खण्ड स्तर पर रुपये 1000/- की सहायता है।

छात्रगृह योजना

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण जिन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता है ऐसे छात्रों को छात्रगृह योजना का लाभ दिया जाता है। योजना में किराये के मकान का किराया, पानी तथा बिजली का शुल्क तथा छात्रावासी दर पर मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

छात्रगृह योजना का लाभ लेने के लिये 5 से अधिक छात्रों के समूह में निवास किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2013-14 में 12,406 विद्यार्थियों को रुपये 1051.52 लाख और वर्ष 2014-15 में 25,123 विद्यार्थियों को रुपये 1155.38 लाख वितरित किये गये।

सैनिक एवं प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के शुल्क की प्रतिपूर्ति

सैनिक स्कूल रीवा तथा प्रदेश में स्थित डेली कॉलेज इंदौर, सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं इंदौर जैसे विशिष्ट पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्रवेश की योजना है। प्रवेशित छात्रों के समस्त शुल्कों का वहन विभाग करता है।

वर्ष 2014-15 में 117 विद्यार्थी लाभान्वित हुए वर्ष 2015-16 में 140 विद्यार्थियों का लक्ष्य है।

राज्य छात्रवृत्ति

राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को रुपये 150 तथा कक्षा 1 से 5 तक के विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को रुपये 150 की छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को रुपये 200 तथा बालिकाओं को रुपये 500 की छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 9 एवं 10 के बालकों को रुपये 600 तथा बालिकाओं को रुपये 1,300 (दस माह हेतु) छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014-15 में रुपये 5764.10 लाख की राशि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है।

राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10

लोक शिक्षण विभाग के माध्यम से कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। वर्ष 2014-15 में रुपये 12,889.16 लाख की राशि वितरित की गई।

वर्ष 2014-15 में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिये भी 30.00 करोड़ राशि लोक शिक्षण विभाग को दी गई थी।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अन्तर्गत)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रुपये 2.50 लाख से रुपये 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को राज्य शासन के स्रोत से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2013.-14 में रुपये 6929.48 लाख व्यय कर 6026 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 2014-15 में रुपये 3810.75 लाख व्यय किये गये हैं। 779 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 2015-16 में 7000 विद्यार्थी का लक्ष्य है। वर्ष 2015-16 में 7000 विद्यार्थी **को लाभान्वित किया जाना है।**